(वाद स0– 3270 / 4 / 36 / 2021)

11.02.2022

परिवादी सचीन्द्र नारायण, सेवा निवृत प्रोफेसर अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया। प्रसंगाधीन मामला परिवादी को उपरोक्त संस्थान द्वारा पेंशन का भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित है।

उपरोक्त पर अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान से प्रतिवेदन की माँग की गई। उपरोक्त संस्थान के कुलसचिव द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, बिहार सरकार द्वारा स्थापित एवं अधिनियमित संस्थान है। संस्थान का संचालन संचालन के एक्ट के तहत बनाए गए नियम, परिनियम के अनुसार होता है। एक्ट द्वारा गठित नियंत्रण पर्षद (नि0 प0) यहाँ का सर्वशासी निकाय है। नि0 प0 के निर्णय को मानना यहाँ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बाध्यकारी है। इस एक्ट में सीधे तौर पर सेवा निवृत्त कर्मियों को पेंशन भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। एक्ट द्वारा नि0प0 को रेगुलेशन बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के तहत नि0प0 ने दिनांक 15.02.1985 को हुई अपनी बैठक में संस्थान कर्मियों को ट्रीपल रिटार्यमेन्ट बेंनिफिट देने का निर्णय लिया था। इस स्कीम के तहत सेवानिवृत्त कर्मियों को पेन्शन भुगतान होता था। यह स्कीम स्व वित्त पोषित थी, इसके लिए सरकार से कोई अलग धन राशि की माँग नहीं करनी थी। लेकिन सन् 2014 के मई महीने से तत्कालीन निदेशक के द्वारा संस्थान के

कर्मियों को पेन्शन देना बन्द कर दिया गया और नि0प0 में लिये गए निर्णय के विपरीत सरकार से इस मद में राशि की मांग की गई।

संस्थान के इस निर्णय के खिलाफ मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट आदेश दिया कि बिहार सरकार पेन्शन भुगतान हेतु कोई धन नहीं देगी, लेकिन संस्थान को पूर्व की भाँति पेन्शन भुगतान के लिए मना नहीं किया। वर्तमान निदेशक के द्वारा इस दिशा में कुछ पहल की गयी है। दिनांक 23–6–2020 को हुई नि0प0 की बैठक में एक एजेण्डा के रूप में इस विषय को रखा गया था जिस पर नि0प0का निर्णय हुआ कि एक ठोस प्रस्ताव तैयार कर उसे शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, को मंजूरी हेतु प्रेषित किया जाय और शिक्षा विभाग से सहमति लेकर एक ठोस प्रस्ताव तैयार कर उसे शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, को मंजूरी हेतु प्रेषित किया जाय और शिक्षा विभाग से सहमति लेकर संस्थान अपने श्रोत से प्राप्त आय द्वारा वेलफेयर स्कीम के तहत कुछ सहायता राशि अपने सेवा निवृत कर्मियों को दे। इस निर्णय के आलोक में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को एक प्रपोजल भेजा गया था लेकिन निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने यह कहते हुए कि इस प्रपोजल को भी नि0प0 से पास करा कर शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को पुनः भेजा जाए। नि0प0 की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को पुनः रखा जाएगा और जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार अग्रत्तर कार्रवाई की जाएगी।

परिवादी यह स्वीकार करते हुए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संस्थान के कर्मियों को बिहार सरकार के माध्यम से पेन्शन का भुगतान किए जाने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संस्थान को पूर्व की भाँति पेन्शन भुगतान के लिए मना नहीं

किया गया है। परिवादी का कथन है कि अप्रैल 2014 तक उसे संस्थान द्वारा पेन्शन का भुगतान किया जाता था। उसके बाद पेन्शन का भुगतान बन्द कर दिया गया। बाद में अक्टूबर/नवम्बर 2021 से नियमित रूप से पेन्शन का भुगतान किया जा रहा है।

परिवादी का यह भी कथन है कि मई 2014 से सितम्बर/अक्टूबर 2021 तक की अवधि का संस्थान द्वारा पेन्शन का भुगतान नहीं किया गया है।

अब जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संस्थान के कर्मियों को पेन्शन भुगतान हेतु बिहार सरकार से कोई धन राशि नहीं देने का निर्देश दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग द्वारा बिहार सरकार को पेन्शन भुगतान हेतु निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है।

संस्थान द्वारा परिवादी को उसके सेवानिवृति की तिथि से (मई 2014 से लेकर सितम्बर/अक्टूबर 2021 तक की अवधि को छोड़कर) लगातार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है तो राज्य आयोग यह अपेक्षा करती है कि संस्थान मई 2014 से सितम्बर/अक्टूबर 2021 तक की अवधि के बकाया पेन्शन के भुगतान के संबंध में मानवीय दृष्टिकोण से विचार कर परिवादी के उक्त अवधि के पेंशन की भुगतान की कार्रवाई नियमानुसार करें।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामलें को संचिकास्त किया जाता है।

आज पारित आदेश के साथ संस्थान द्वारा समर्पित प्रतिवेदन (पृष्ठ–51/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचित करते हुए आज पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु कुल सचिव, अनुग्रह नारायण

सिंह समाज अध्ययन संस्थान, उत्तर–पश्चिम गाँधी मैदान, पटना को प्रेषित किया जाए।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

निबंधक